


भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



हिमाचल प्रदेश
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
HIMACHAL PRADESH
GEO-SPATIAL DATA CENTRE
सेक्टर 32-ए, दक्षिण मार्ग
CHANDIGARH-160 030 (यू.टी.)
दिनांक DATE १३-03-2015

टेलीफोन Telephone : 0172-2607580

ई-मेल E-mail : hp.gdc.soi.@gov.in

सं० प्रशा० - ११ / ३७-जी-९

हि० प्र० भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं० ०२ दिनांक १३-०३-२०१५

१. एम० ए० सी० पी० (M.A.C.P.):-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी० डी० एन०, दिनांक ०८-०६-२००९ के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० ३५०३४/३/२००८-स्था० (डी) दिनांक १९-०५-२००९ में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी को उस के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से पी० सी०-२ रुपये ९३००-३४८००+४८०० ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम० ए० सी० पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	वित्तीय उन्नयन पर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि	टिप्पणी
१.	श्री चन्द्र कान्त, अधिकारी सर्वेक्षक	९३००-३४८००+ ग्रेड वेतन-४८००	०१-०७-२०१३	-----

प्राधिकार:- i) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक १८-०२-२०१५ का पत्र सं० सी-९६८/१९०२-MACP-११(Sur./OS)
ii) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक १६-०३-२०१५ का पत्र सं० सी-१५४८/१९०२-MACP-११(Sur./OS)

- उपरोक्त में दर्शाये गए अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- उपरोक्त अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ०आर० २२(१)(ए)(१) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के लिए वर्ष २०१५-१६ के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें जाला जाएंगे।

2. एम0ए0सी0पी0 (M.A.C.P.):-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी0 डी0 एन0, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित गृप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिविजन-11 से पदोन्नत) कर्मचारी को उनके के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से पी. वी.-2 रूपये 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम. ए. सी. पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	वित्तीय उन्नयन पर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि	टिप्पणी
1.	श्रीमती सुनीता रानी, मानचित्रकार डिवि०-1	9300-34800+ ग्रेड वेतन-4800	01-01-2015	-----

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 20-02-2015 का पत्र सं० सी-1165/1902 - एम0ए0सी0पी0 (हिमाचल प्रदेश जी0डी0सी0)

1. उपरोक्त में दशयि गए कर्मचारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
2. उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ0आर0 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
3. अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के लिए वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें जाला जाएगा।

3. एम0ए0सी0पी0 (M.A.C.P.):-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी0 डी0 एन0, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस केन्द्र के निम्नलिखित गृप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-11 एवं डिविजन-1 (डिविजन-11 से पदोन्नत) कर्मचारियों को उनके के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से

पी० बी०-2 रूपये 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम० ए० सी० पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	वित्तीय उन्नयन पर वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि	टिप्पणी
1.	श्री जरनैल सिंह बंगा, सर्वेक्षण सहायक	9300-34800+ ग्रेड वेतन-4600	01-01-2015	-----
1.	श्री रवि दत्त शर्मा, सर्वेक्षण सहायक	9300-34800+ ग्रेड वेतन-4600	01-01-2015	-----


प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 20-02-2015 का पत्र सं० सी-1160/1902- एम0ए0सी0पी0 (हिमाचल प्रदेश जी0डी0सी0)

1. उपरोक्त में दर्शाये गए कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
2. उपरोक्त कर्मचारियों को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ0आर0 22(1)(क)(i) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
3. अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के लिए वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा।

4. सेवा-निवृत्ति (Retirement):-

निम्नलिखित कर्मचारी उसके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार सरकारी सेवा पूरी करने पर सेवा-निवृत्त हुए :-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	श्री नरोत्तम चन्द, जमादार	28-02-2015 (अपराहन)


(राम पाल सिंह)
निदेशक (सामयिक आधार पर)
हिमाचल प्रदेश जी० डी० सी०

वितरण :-

1. प्रभारी विभागीय वैबसाइट, देहरादून को भारत के महासर्वेक्षक के दिनांक 08-12-2014 के पत्र सं० त-8943/644 - WEB-SOL/Col. 13 के संदर्भ में "Routine Order & Circular" tab में प्रकाशित करने हेतु ।
2. कार्यालय अधीक्षक प्रशा०/अनुभाग अधिकारी लेखा एवं आदान/गोपनीय/तकनीकी अनुभाग 1 प्रति प्रत्येक ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

हिमाचल प्रदेश

भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

HIMACHAL PRADESH

GEO-SPATIAL DATA CENTRE

सेक्टर 32-ए, दक्षिण मार्ग

SECTOR 32-A, DAKSHIN MARG

चण्डीगढ़-160030 (यू.टी.)


CHANDIGARH-160 030 (U.T.)

दिनांक DATE २३-03-2015

टेलीफोन Telephone : 0172- 2607580

ई-मेल E-mail : hp.gdtc.soi.@gov.in

No.Adm. 821 /37-G-9



ROUTINE ORDER NO. ०२ / 37-G-9 DATED २३-03-2015

1. FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME – IMPLEMENTATION OF :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN Dated 08-06-2009 the following person is hereby granted **Second Financial Upgradation** in the PB 2 Rs. 9300-34800+4800 Grade Pay under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employees from the date shown against his name:-

Sl No.	Name & Designation	Pay Scale & Grade Pay	Date of MACP	Remarks
1	Sh. Chander Kant, Officer Surveyor	9300-34800 + Grade Pay 4800	01-07-2013	-----

(Authority:- i) S.G.'s letter No. C-968/1902-MACP-11 (Sur./OS) Dated 18-02-2015)
ii) S.G.'s letter No. C-1548/1902-MACP-11 (Sur./OS) Dated 16-03-2015)

1. The pay of the above person will be fixed by the Head of Office.
2. The person concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month.
3. The extra expenditure involve will be met from within the sanctioned budget grant for the year 2015-16 and debited to the appropriate Head of Account.

